प्रेस विज्ञप्ति

3 नवम्बर, 2022

मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ उत्तर प्रदेश एवं सी.जी.एस.टी. डिपार्टमेन्ट कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से जी.एस.टी. कार्यशाला का आयोजन डॉ0 गौर हरि सिंघानिया कांफ्रेन्स रूम में किया गया।

मुख्य अतिथि श्री सुनील कुमार सिंह, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. ने अपने उद्बोधन में यह स्पष्ट किया कि जी.एस.टी. विभाग कारोबारी से इकोफ्रेन्डली व्यवहार कर रहा है। सभी औपचारिकतायें आन-लाइन है, पारदर्शी है। जी.एस.टी. पोर्टल का सिस्टम भी धीरे-धीरे इकोफ्रेन्डली अनुपालन रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कारोबारी की समस्या का समाधान एवं नवीनतम संशोधन से यह हमारी आउट-रीच कार्यक्रम की पहल है। हमारे अधिकारी नवीनतम संशोधनों की जानकारी देंगें।

विशिष्ट अतिथि श्री सोमेश तिवारी, आयुक्त सी.जी.एस.टी. आडिट, कानपुर ने यह विश्वास दिलाया कि जी.एस.टी. आडिट में कारोबारी सहयोग करे। हमारी आडिट टीम उनका समाधान करेगी। जहाँ कहीं अनियमिततायें प्रकाश में आयेंगी। यदि टैक्स बनता है, तो टैक्स को जमा करने हेतु इंगित किया जायेगा। सहयोग न करने पर जी.एस.टी. के प्रशासनिक विभाग को मामला संदर्भित किया जायेगा और उनके खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी कर एवं ब्याज अर्थदण्ड की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। हमारी आडिट टीम करदाता को शिक्षित करने में भी सहयोग करेगी।

तकनीकी सत्र में वक्ता के रूप में डिप्टी कमिश्नर विजेन्द्र मीना एवं मनोज मिश्रा ने जी.एस.टी. के नवीनतम संशोधनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य रूप से यह बताया कि पिछले वर्ष की छूट गयी आई.टी.सी. का लाभ अगले वर्ष के नवम्बर माह तक कारोबारी दावा कर लाभ ले सकेंगें। कैश लेजर में उपलब्ध धन उसी पैन संख्या में अन्य डिस्ट्रिक पंजीयन में ट्रांसफर किया जा सकता है।

जी.एस.टी.आर.-1 या 3बी यदि दाखिल नही किये गये तब अगले माह जी.एस.टी.आर.3बी कारोबारी दाखिल नही कर सकेगें। विक्रेता ने यदि कर जमा नहीं किया है। तब क्रेता को उस आई.टी.सी. का लाभ अनुमन्य नही होगा। उस आई.टी.सी. को जब विक्रेता कर जमा कर देगा, तब क्रेता उसका लाभ फार्म-3बी में रिक्रेडिट प्राप्त कर सकता है। समय सीमा लागू नही होगा।

शंका समाधान सत्र में विभागीय अधिकारी ने सभी कारोबारियों, चार्टेड एकाउण्टेन्ट, एडवोकेट की शंकाओं का समाधान किया तथा आश्वासन दिया कि जो पोर्टल की तकनीकी खामियां हैं। सक्षम अधिकारियों का संदर्भित किया जायेगा। गोष्ठी में विभागीय अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं चार्टेड एकाउण्टेन्ट उपस्थित रहे।

जी.एस.टी. कार्यशाला में मर्चेन्ट्स चैम्बर अध्यक्ष- अतुल कानोडिया, जी.एस.टी. कमेटी एडवाइजर- धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, चेयरमैन- सन्तोष कुमार गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष- मुकुल टण्डन, भुवनेश मित्तल, दीपक कपूर, सुशील शर्मा, रमन टंडन, आशीष बंसल एवं सचिव महेन्द्र नाथ मोदी उपस्थित रहे।

आभार जी.एस.टी. कमेटी के वाइस चेयरमैन- शरद शाह ने दिया।